

फर्द अहकाम

(नियम 26)

द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम अनूपगढ़ (जिला श्री गंगानगर)

पालाराम बनाम खंडा लाल

प्रकरण अन्तर्गत धारा 88, 188 RTI

प्रकरण संख्या 44 सन 2025 जी.सी.एम.एस. नम्बर 2025/80

तारीख हकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	जारी तामिल का नम्बर/दिनांक
16/5/25	<p>आज प्रार्थी/वादी की ओर से एक प्रार्थना/वाद पत्र प्रस्तुत होने पर पत्रावली पेश हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाये। अप्रार्थी/प्रतिवादी को जरिये नोटिस/सम्मन तलब करके पत्रावली दिनांक 25/6/25 को पेश हो।</p>	
25/6/25	<p style="text-align: center;">अनूपगढ़ उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़</p> <p>पत्रावली प्रस्तुत की जाई साथ प्रतिवादीगण के पत्रों की खोज/प्राप्ति होने के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। एस्तगत वाद पत्र में खोज/प्राप्ति होने की जाई साथ अन्य कोई कार्यवाही नहीं किया जाये का निर्देश किया है। वाद पत्र पुनः पेश करने के आग्रह/आपत्ति को ध्यान में रखते हुए एस्तगत वाद पत्रावली पर खोज/प्राप्ति प्रोसेस किया गया है। वाद पत्र प्रोसेसिंग के क्रम में प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं।</p> <p style="text-align: center;">सुरेश राव <small>जी.सी.एम.एस.</small> उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़</p>	<p>पालाराम प्रतिवादी दिनांक (राजेंद्र सिंह) Adv</p>

